पुस्तकालय

(2)
3277
18/3/2013

सत्यमेव जयते

11 MAR 2013

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
ग०स०प्रे०सं० 579 तिथि 13-3-13

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),184–डी०टी०पी०–1,500

अध्यक्ष: इस संदर्भ में किसी स्वरूप में आप दे दें स्पेसिफिक तो आपने बताया नहीं, चैनल का हवाला दिया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता, प्रतिपक्ष: महोदय, सूचना के तहत मैने यह सरकार को अवगत कराया और यह प्रावधान है कि जब कोई ऐसी एकाएक घटना घट जाय और हम कोई फौरम में देने के लिए नहीं हूं । हमे अधिकार है सूचना के तहत सूचना देने का सदन को आपकी अनुमति से और सरकार इसको संज्ञान में ले और वक्तव्य दे ।

अध्यक्ष: सूचना ग्रहण कर लीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: सरकार इसको संज्ञान में लेती है और इसके मामले में विधि सम्मत कार्रवाई भी करेगी ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सुचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, डॉ० फैया अहमद एवं अन्यदो सभासदों की ध्यानाकर्षण पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र आपकी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है। सूचना आपकी पढ़ी हुई है । प्रभारी माननीय मंत्री, वित्त ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री: महोदय, राज्य के राजपत्रित अभियंताओं के संगठन के द्वारा जिन मांगों के संदर्भ में हड़ताल पर जाने की सूचना राज्य सरकार को दी गयी थी जो मांगे कई प्रकार की हैं ।

पहला वेतनमान एवं प्रोन्नति से संबंधित, दूसरा संविदा पर नियुक्ति के विरूद्ध, तीसरा अभियंत्रण संवर्ग को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त रखना, चौथा विभाग द्वारा अभियंत्रण संवर्ग गठन के विरोध में, पांचवा दिनांक 01.01.2009 एवं बाद की तिथियों में नवनियुक्त अभियंताओं के वेतन से कटौती के संबंध में, छठा वेतन पुनरीक्षण के क्रम में आप्शन देने के समय सीमा का विस्तार करने के संबंध में ।

महोदय, जहां तक वेतनमान एवं प्रोन्नति से संबंधित मांगों का सवाल है उनकी मुख्य मांग अभियंत्रण नियंत्रण सेवा के सापेक्षता है । इस संदर्भ में उनकी यह मांग भी थी कि कार्यपालक अभियंता का वेतन पी0बी0-3 ग्रेड पे 7600 दिया जाय । ए0सी0पी0 की पुरानी नियमावली की तरह 10,20 और 30 वर्षो में क्रमश: कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के स्वीकृत पे बैंड और ग्रेड पे में ए0सी0पी0 का लाभ

दिया जाय और पुरानी नियमावली में 12 वर्षो में प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्त अभियंताओं को 22 वर्षो की सेवा पूर्ण होने के बजाय 20 वर्षो में ही दूसरी ए0सी0पी0 दिया जाय । महोदय, राज्यकर्मियों का केन्द्र के अनुरूप वेतनमान एवं सेवा शर्त्त पर विचार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा फिटमेंट कमिटी का गठन किया गया था । जिसके द्वारा राज्य के सभी सेवा संवर्गो के लिए वेतनमान प्रोन्नति सहित सेवा शर्त्तों के संबंध में अनुशंसा की गई है । फिटमेंट कमिटी की जिन अनुशंसाओं और उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के संबंध में आपत्तियों प्राप्त हुई उस पर विचार करने के लिए जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में अपलेट कमिटी का गठन किया गया था । राज्य के अभियंत्रण सेवाओं के वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्त्ते उपुयुक्त समितियों की अनुशंसा के आधार पर गठित है । इस पर सामन्यतया सरकार के स्तर से छेड़छाड़ किया जाना उचित नही होगा । इस संवर्ग के संबंध में फिटमेंट कमिटी की एक अनुशंसा का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया जा सका है और वह है नन-फंक्शनल जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कार्यपालक अभियंता के पद का वेतनमान । समिति की अनुशंसा थी कि संबंधित कार्य विभागों के द्वारा उन पदों के लिए दायित्वों का निर्धारण किया जाय और पदों को चिन्हित किया जाय ।

महोदय, वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1052 दिनांक 24.02. 2010 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति को विभिन्न सेवा संगठनों द्वारा समर्पित आवेदनों पर वेतन समिति के टर्म्स एवं रेफरेंस की परिधि में उनके द्वारा की गई अनुशंसाओं तथा राज्य सरकार के निर्णयों में बतायी जाने वाली त्रुटियों विसंगतियों पर विचार करना था । यह सही नहीं है कि मात्र अभियंत्रण सेवा संगठन के आवेदन पर ही उच्च स्तरीय समिति को विचार करना था । वेतन समिति की त्रुटियों पर विचार हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनीय प्रशासनिक ग्रेड जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड को लागू करने की अनुशंसा की गई ।

महोदय, अभियंतओं के हड़ताल में जाने के बाद उनसे वार्ता की गई । मंत्री, पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया था । और उनके द्वारा कई दौर में वार्ता भी की गई । सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि जो मांगे प्रकियात्मक और अल्प वित्तीय प्रभाव की है यथा 01.01.2009 के बाद नियुक्त अभियंताओं के वेतन में सुधार, आश्वान देने की निर्धारित अवधि में विस्तार, या 22 वर्षो के बजाय

20 वर्षो में दूसरी ए0सी0पी0 देना इस संबंध में दो तीन दिनों के अंदर निर्णय कर अधिसूचित किया जा सकता है अगर वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें । अन्य वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए एक सेवा निवृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा सकता है जिनसे समयबद्ध अनुशंसा प्राप्त कर सरकार निर्णय लेगी ।

महोदय, दिनांक 01.01.2009 एवं उसकी बाद की तिथि में नवनियुक्त सभी राज्यकर्मियों के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक 1336 दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि शिड्युत दो में विहित वेतनमान में प्रवेश वेतन दिनांक 01.01.2006 या उसके बाद नवनियुक्त कर्मियों के लिए अनुमान्य होगा या प्रवेश वेतन दिनांक 01.01.2009 को या उसके बाद की तिथियों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए भी अनुमान्य होगा । सरकार उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर शीघ्र निर्णय लेगी । जहां तक अन्य मांगों का सवाल है जैसे जिला पदाधिकारी को कार्य विभाग सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों पर सीमित प्रशासनिक नियंत्रण अथवा अभियंत्रण संवर्गो के बेहतर नियंत्रण के लिए विभागवार संवर्ग का गठन और नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर नियुक्ति यह राज्य सरकार की सुविचारित निर्णय है जो प्रशासनिक हित में लिये गये हैं । अभियंताओं के संगठनों ने सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों के अनुरोध पर विचार नहीं किया है और अभी तक उन्होंने अपना हड़ताल वापस नहीं लिया है । इस सदन के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि अभियंतागण राज्य हित में अपना हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट जायं । उनके विरूद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और हड़ताल अवधि के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सेवा में टूट नहीं होने दिया जाएगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : 2010 में अध्यक्ष महोदय सरकार अभियंत्रण संघ से वार्ता की थी और उसमें उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का आश्वासन दिया था कि उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुरूप आपकी बातें मानी जाएंगी । उसका रिपोर्ट भी 2010 के मार्च में सौंप दिया गया है । लेकिन सरकार उस स्तर से अभियंत्रण संघ के लोगों से वार्ता नहीं की । क्या सरकार अभियंत्रण संघ के नेताओं से वार्ता कर उच्चस्तरीय समिति का जो रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहती है ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैने उत्तर में कहा कि जो उच्चस्तरीय समिति बनी थी वह केवल अभियंत्रण सेवा संघ के लोगों के मांगों पर विचार करने के लिए ही

नहीं बनी थी । कोई भी कर्मचारी संगठन अगर कोई आवेदन देना चाहता है उसके आवेदन पर विचार करने के लिए यह समिति बनी थी । और इस समिति ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनीय प्रशासनिक ग्रेड को लागू करने की अनुशंसा की । एक ही अनुशंसा है जो लागू नहीं की जा सकी है वह था नॉन-फंक्शनल जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड । इस पर सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेकर इसको लागू करेगी । और बाकी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग दोनों के साथ कई दौर की बातचीत हुई और दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि जो उनकी वैसी मांगे जिनका वित्त पर प्रभाव पड़ सकता है उसके लिए एक समिति का गठन कर के समयसीमा में निर्णय लिया जाएगा और बाकी मांगों के बारे में कहा गया था कि राज्य सरकार निर्णय लेगी लेकिन आप हड़ताल पर न जायं, आप लौट जायं लेकिन उनलोगों ने दोनों मंत्रियों के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और अब खुशी है कि अभी तक आज काफी संख्या में लोग वापस लौट आये है विशेषकर पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अभियंता लौट आये है । जो कुछ अभियंता रह गए हैं उनसे मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए पूरी तौर पर तैयार है लेकिन वे पहले हड़ताल से वापस आये अगर हड़ताल पर रहेंगे तो सरकार उनके मांगों पर विचार नहीं करेगी । इसलिए माननीय मंत्री ने दोनों बात कह दिया यहां पर जो ये लोग बातचीत के लिए गए थे और यह कहा गया था कि सरकार उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर शीघ्र निर्णय लेगी और यह भी कहा गया था कि अन्य वित्तीय मांगों पर विचार करने के लिए एक सेवा निवृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा सकता है जिसे समयबद्ध अनुशंसा प्राप्त कर सरकार निर्णय लेगी । और बाकी अन्य मांगों के बारे में यह कहा गया था माननीय मंत्रियों के द्वारा कि दो तीन दिनों के अंदर निर्णय लेकर अधिसूचित किया जा सकता है अगर वे अपना हड़ताल समाप्त कर दें । तो जब सरकार पर आपको विश्वास है दोनों मंत्रियों ने यह कहा कि दो तीन दिनों में अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

क्रमशः

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : ...क्रमशः ...

और फिर भी वे अगर हड़ताल पर बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये राज्यहित में नहीं है, हम उनसे अपील करेंगे कि जो कुछ लोग बच गये हैं, अभी भी हड़ताल पर हैं, सरकार उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इसलिये वे भी वापस लौट जांय और सरकार उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये तैयार है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : आपका तो हस्ताक्षर नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : मेरा दस्तखत है, सर । मेरा हस्ताक्षर है ।

अध्यक्ष : नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : मेरा हस्ताक्षर है ।

अध्यक्ष : आप पूछिये लेकिन ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : पूछ सकते हैं लेकिन हस्ताक्षर नहीं है । भाई वीरेंद्र, डॉ0 फैयाज अहमद, अवधेश कुमार राय और जाकिर हुसैन । ठीक है पूछिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : खैर एनीवे , मुझे जब आसन ने अनुमति दे दी और उप मुख्यमंत्री तैयार हो गये तब तो कोई आपत्ति नहीं । ऐसे भी, महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से दो बातें एक तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही कि अभियंता अपनी हड़ताल समाप्त कर दें, उनके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जायेगी न उनका सर्विस टूट माना जायेगा, न कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । अब माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया, दो प्रश्न है हमारा, एक पहला प्रश्न यह है कि उनकी कुल कितनी मांगें थीं और उसमें सरकार ने कुल कितनी मांगें मान लीं और कुल कितनी मांगें प्रक्रियाधीन हैं, एक सवाल हम ये जानना चाहते हैं । दूसरा, कि माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर के क्रम में कहा कि केंद्रीय वेतनमान के सापेक्षता के आलोक में भी उनकी मांगें थीं कि अभियंत्रण संगठन के जो लोग हैं उनको भी दिया जाय तो अन्य कर्मियों को अगर केंद्रीय वेतनमान दिया गया तो इनको नहीं देने का क्या औचित्य है ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैंने तो पहले ही कहा कि छठा वेतन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने क्योंकि राज्यकर्मियों को केंद्र के अनुरूप वेतनमान एवं सेवा शर्त पर विचार करने के लिये फिटमेंट कमिटी बनी और फिटमेंट कमिटी के बाद राज्य सरकार ने अपीलीय फिटमेंट कमिटी बनायी और उसके बाद भी अगर किसी कर्मचारी संगठन को अगर कोई शिकवा शिकायत है, अगर कोई त्रुटि रह गयी है तो उस पर विचार करने के लिये राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया । उच्चस्तरीय समिति, फिटमेंट

कमिटी और अपीलीय फिटमेंट कमिटी, उसी की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने निर्णय लिये सारे, एक अनुशंसा केवल जैसा मैंने कहा नन-फंकशनल जूनियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यही एक अनुशंसा इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका था, इसका क्रियान्वयन कर दिया जायेगा । साथ ही साथ, माननीय मंत्रियों के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें माननीय मंत्रियों के द्वारा यह कहा गया था कि जो मांगें प्रक्रियात्मक और अल्प वित्तीय प्रभाव की हैं यथा 1.1.2009 के बाद नियुक्त अभियंताओं के वेतन में सुधार, ऑप्शन देने की निर्धारित अवधि में विस्तार, 22 वर्षों के बजाय 20 वर्षों में दूसरी ए.सी.पी. देना, इस संबंध में दो-तीन दिनों के अंदर निर्णय लेकर अधिसूचित किया जा सकता है बशर्ते वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें । तो इस तरह की जो मांगें थीं, जिसका अल्प वित्तीय प्रभाव था, सरकार उसपर तत्काल कार्रवाई करने के लिये तैयार है परंतु सरकार का ये कहना है कि जब सरकार तैयार है तो उनको अपनी हड़ताल को वापस ले लेना चाहिये और अधिकांश इंजीनियर लौट गये हैं, दो विभागों के कुछ लोग बचे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब राज्य सरकार ने यह कह दिया कि अल्प वित्तीय प्रभाव की मांगों को सरकार जिस दिन तोड़ेंगे उसके दो-तीन दिनों के भीतर हम अधिसूचित कर देंगे और बाकी जो अन्य वित्तीय मांगें हैं, उसके लिये एक समिति का गठन किया जायेगा, एक समय सीमा के अंदर उसकी अनुशंसा लेकर राज्य सरकार उसपर भी कार्रवाई करेगी । मैं फिर से एक बार सदन की ओर से और सभी अभियंत्रण सेवा संघ के अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि वे हड़ताल से वापस आ जांय और राज्य सरकार को सहयोग करें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : महोदय, चूंकि छठा वेतनमान की सुविधा अन्य कर्मियों को मिल रही है बहुत दिनों से और जब इनको सुविधा नहीं मिली तो इतने वर्षों के बाद स्वाभाविक है उनको अपनी जायज हक के लिये अपनी बातों को रखने का और उन्होंने समय समय पर विभाग में या संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, उनको उन्होंने अपना अभ्यावेदन दिया । फिटमेंट कमिटी बनी, फिटमेंट कमिटी के पास भी उन्होंने अपने अनुरोध को रखा और फिर सरकार ने कहा, उच्चस्तरीय समिति बनी, उच्चस्तरीय समिति की भी अनुशंसा आ गयी और वो उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा लागू नहीं होना, छठा वेतनमान की सुविधा नहीं मिलना, स्वाभाविक था कि उनमें आक्रोश होना और बार-बार उनके अनुरोध के बाद जब उनकी बातें नहीं मानी जा रही थीं तो विवश होकर उनको हड़ताल में जाना पड़ा । हम भी मानते हैं कि सरकार जब आज ये कह रही है कि हम उनकी सभी मांगों को ...

अध्यक्ष : पूरक ले लीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : एक मांग को छोड़कर, महोदय, पूरक ये है कि एक मांग को छोड़कर सभी मांगों को सरकार मानने के लिये सरकार तैयार है तो उनको भी हड़ताल तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी । आज सरकार अपने स्तर से उनके पदाधिकारियों को बुला कर यह आश्वासन दे कि आपकी एक मांग प्रक्रियाधीन है, अन्य मांगों को हम मान रहे हैं । क्या यह सही है ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने नहीं कही, उसको जबर्दस्ती मेरे मुंह में डालकर ये बोलवा रहे हैं । पहली बात तो ये है कि छठा वेतनमान लागू कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन छठा वेतनमान केंद्र सरकार का ढांचा थोड़ा अलग है, भिन्न है, बिहार सरकार, राज्यों का ढांचा अलग है, इसलिये फिटमेंट कमिटी, फिट करना, मिला है, अरे, मिला है तब न, सारी चीजें तो मिल गयीं, कुछ चीजों के बारे में उनकी जो आपत्ति थी, आखिर फिटमेंट कमिटी और अपीलीय फिटमेंट कमिटी जो बनी उसमें केंद्रीय वेतनमान के किन किन चीजों को किस तरह से राज्य में लागू किया जाय, उसको लागू करने की अनुशंसा की है और मैंने कहा कि केवल एक नन फंकशनल जूनियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यही एक अनुशंसा थी जो लागू नहीं की जा सकती है लेकिन बाकी मैंने कहा कि जो उनकी मांगें हैं, जो अल्प वित्तीय प्रभाव की हैं, हम तीन चार दिनों में लागू कर देंगे लेकिन हड़ताल तोड़ें पहले और ऐसी मांग जिसका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा उसके लिये उच्चस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है और समय सीमा पर समिति की अनुशंसा लेकर हम उसको लागू करेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप भी अपील करें और आपके पास लोग आये हैं, आप उनको समझाईये कि राज्य के हित में वे हड़ताल से वापस लौटें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : हम तो अपील कर ही देंगे ..

अध्यक्ष : सरकार ने तो अपील कर ही दिया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : आप पर विश्वास इसलिये नहीं होता कि उच्चस्तरीय समिति का गठन करते हैं और उसकी अनुशंसा आती है और उसको आप लागू नहीं करते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर वित्तीय भार से जो रिलेटेड है उसपर विचार किया जायेगा । तो कम से कम आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना का अवधि अगर निर्धारित करेंगे तब तो वो मान जायेंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा ही कि वो जिस दिन तोड़ेंगे तीन चार दिनों के भीतर जो अल्प वित्तीय प्रभाववाली जो मांगें हैं, उसकी अधिसूचना निर्गत कर

दी जायेगी और बाकी मांगों के बारे में एक कमिटी बनाकर उसकी अनुशंसा पर राज्य सरकार निर्णय लेगी । बुलाने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । शांति । माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा है ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई बुला कर बात करने की अब आवश्यकता नहीं है । कई राउंड माननीय मंत्री विजय चौधरीजी, नंदकिशोर यादवजी ने और वो हड़ताल तोड़ दें और बैठ जांय । कितने राउंड बातचीत होगी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या है? आज बुला लीजिये । बुला लीजिये उनको ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है । सदन के अंदर यह आश्वासन दिया गया, इससे बड़ा भी कोई आश्वासन हो सकता है क्या ? बंद कमरे के आश्वासन से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन के अंदर दिया गया आश्वासन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री कन्हैया कुमार । सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री,ग्रामीण विकास विभाग ।

सर्वश्री कन्हैया कुमार, कौशल यादव एवं अन्य छः सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीतीश मिश्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी,सिरदला के कार्यकलापों के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा ध्यानाकृष्ट कराये गये बिन्दु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी,नवादा ने अपने पत्रांक 380 दिनांक 21.2.2013 द्वारा प्रखंड के मुखियागण एवं पंचायत सचिवों से प्राप्त परिवाद की जांच के लिये अपर समाहर्त्ता, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन तथा अनुमंडल पदाधिकारी,रजौली का संयुक्त जांच दल गठित किया । जांच दल द्वारा दिनांक 5.3.2013 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है ।

जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के पत्रांक 402/गो0 दिनांक 5.3.2013 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पर